

घोषणा पत्र
(मृत्यु उपरांत वित्तीय सहायता)

मैं (आवेदक) _____ पुत्र / पत्नी / श्री/
श्रीमति _____ निवासी _____ निम्नलिखित घोषणा
करता / करती हूँ:-

1. स्वर्गीय श्री/ श्रीमति _____ बोर्ड के पंजीकृत सदस्य थे जिनकी
पंजीकरण संख्या _____ तिथि _____ थी।
2. उनकी मृत्यु दिनांक _____ को हो चुकी है उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र पंजीकरण
संख्या _____ तिथि _____ एवम् जिला _____
द्वारा जारी किया गया है (प्रति सलंगन है)
3. मृतक रिश्ते में मेरे _____ थे तथा मैं मृतक का कानूनी वारिस हूँ एवं बोर्ड के
रिकार्ड में नामांकित हूँ।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो
कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये
जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने
का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर प्राप्त की गई वित्तीय सहायता राशि को मैं लौटाने को
बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

स्थान:

तिथि:

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

मो0 नं0: _____